रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 1997/पौष 24, 1918

No. 30] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 1997/PAUSA 24, 1918

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997

का. आ. 38(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए भूमिगत जल प्रबन्ध और विकास के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड प्राधिकरण गठित करती है, अर्थात् :—

(1) अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष

(2) सदस्य, (अन्वेषक और सामग्री प्रबन्ध), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य

(3) सदस्य, (प्रोत्साहन प्रबन्ध और संपर्क), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य

(4) सदस्य, (सर्वेक्षण, निर्धारण और मानीटरी), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य

(5) ...., —सदस्य

(केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला संयुक्त सचिव,
भारत सरकार की पंक्ति से अनिम्न कोई अधिकारी)

2. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(i) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन शक्तियों का उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी मामलों की बाबत ऐसे अध्युपाय और निदेश जारी करने के लिए प्रयोग करना;

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 15 से धारा 21 में अन्तर्विष्ट शास्तिक उपबन्धों का अवलम्ब लेना,

(iii) देश में अन्धाधुन्ध बोरिंग करने और भूमिगत जल निकालने को विनियमित करने तथा भूमिगत जल को परिरंक्षित और संरक्षित करने की दृष्टि से आवश्यक विनियामक निदेश जारी करना।

3. प्राधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण भारत पर होगी।

4. प्राधिकरण, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा।

[फा. सं. एल.-11011/29/96-आई.ए.-III]

आर. एच. ख्वाज़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 1997

S.O. 38(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitute the Central Ground Water Board as an Authority for the purposes of regulation and control of Ground Water Management and Development for a period of one year from the date of publication of this notification in the official gazette, namely :—

(1) Chairman, Central Ground Water Board —Chairperson

(2) Member (Exploratory Drilling and Materials Management), Central Ground Water Board —Member

(3) Member (Sustainable Management and Liaison), Central Ground Water Board —Member

(4) Member (Survey, Assessment and Monitoring), Central Ground Water Board —Member

(5) .... —Member

(An officer not below the rank of the Joint Secretary to the Government of India to be appointed by the Central Government)

2. The Auhority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely :—

(i) exercise of powers under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 for issuing directions and taking such measures in respect of all the matters referred to in sub-section (2) of section 3 of the said Act;

(ii) to resort to the penal provisions contained in sections 15 to 21 of the said Act;

(iii) to regulate indiscriminate boring and withdrawal of ground water in the country and to issue necessary regulatory directions with a view to preserve and protect the ground water.

3. The jurisdiction of the Authority shall be whole of India.

4. The Authority shall function under the administrative control of the Government of India in the Ministry of Water Resources with its Headquarters at Delhi.

[F. No. L-11011/29/96-IA. III]

R.H. KHWAJA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

ANNEXURE – IV 6
(17)
.जिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/9

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 26] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 1998/पौष 23, 1919

No. 26] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 1998/PAUSA 23, 1919

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998

का.आ. 40 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 38 (अ) तारीख 14 जनवरी, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'पांच वर्ष' शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. एल-11011/29/96-आई.ए. III]

आर.एच. ख्वाजा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 38 (अ) तारीख 14 जनवरी, 1997 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3,उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 1998

S.O. 40(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 38 (E) dated the 14th January, 1997, namely :—

In the said notification, in paragraph :. for the words "one year", the words "five years" shall be substituted.

[No. L-11011/29/96-IA.III]

R.H. KHWAJA, Jt. Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide No..S.O. 38 (E) dated the 14th January, 1997 in Part II, Section 3,

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998

90 GI/98

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 1999/पौष 18, 1920
No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 1999/PAUSA 18, 1920

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1999

का. आ. 9(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 38(अ) तारीख 14 जनवरी, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में क्रम सं. (5) से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) केंद्रीय भू-जल बोर्ड—————————सदस्य सचिव"
क्षेत्रीय निदेशक या
समतुल्य रैंक का कोई अधिकारी

[सं. एल-11011/29/96-आई.ए. III]

वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी, 1997 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का. आ. 38(इ) के तहत प्रकाशित की गई थी और 13 जनवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या का आ. 40(इ) के तहत इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 1999

S. O. 9(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S. O. 38(E) dated the 14th January, 1997 namely :—

15

namely :—

... relating to serial No. (5), the following ...

"(6) Regional Director or an officer of equivalent rank, Central Ground Water Board. —Member Secretary"

[No. L-11011/29/96-L

V. RAJAGOPALAN, Jt.

Foot Note :—The principal notification was published vide No. S. O. 38(E) dated the 14th January, 1997, Part II, Secti Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary and amended vide Notification No. S. O. 40 (E) c 13th January, 1998.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

(18)

ANNEXURE IV

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2000/कार्तिक 25, 1922
No. 745] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2000/KARTIKA 25, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2000

का.आ. 1024 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 38(अ) तारीख 14 जनवरी, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) प्रारंभिक पैरा में "पांच वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) प्राधिकरण के गठन के लिए "(1) से (6) तक" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष

2. सदस्य (सर्वेक्षण, निर्धारण और मानीटरी) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य

3. सदस्य (खोज, ड्रिलिंग और सामग्री प्रबंध) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य

4. सदस्य (प्रोत्साहन, प्रबंध और संपर्क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य

5. सदस्य (प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अंतरण) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य

6. संयुक्त सचिव (प्रशासन) जल संसाधन मंत्रालय — सदस्य

7. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय — सदस्य

8. संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय — सदस्य

3133 GI/2000

9. मुख्य इंजीनियर, सिंचाई प्रबंध संगठन (जल, योजना और परियोजना) केन्द्रीय जल आयोग — सदस्य

10. निदेशक/महा प्रबंधक (खोज) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड — सदस्य

प्राधिकरण समय-समय पर, जब भी अपेक्षित हो, निम्नलिखित को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकती है,

1. संयुक्त सचिव (मृदा और जल संरक्षण) कृषि और सहकारिता विभाग
2. संयुक्त सचिव (जल प्रदाय) शहरी विकास मंत्रालय
3. संयुक्त सचिव (पेयजल प्रदाय विभाग), ग्रामीण विकास मंत्रालय
4. निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की
5. निदेशक, राष्ट्रीय भू-भौतिकी संस्थान, हैदराबाद।''

(iii) पैरा 2 में खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(iii) देश में भूमिगत जल के प्रबंध और विकास को विनियमित और नियंत्रित करना तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विनियामक निदेश जारी करना;

(iv) अधिकारियों की नियुक्ति के लिए (पर्यावरण संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना।''

[सं. एल-11011/29/96-आई ए-III]

डा. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का. आ. 38(अ) तारीख 14 जनवरी, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का. आ. 40(अ) तारीख 13 जनवरी, 1998 और का. आ. 9(अ) तारीख 5 जनवरी, 1999 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2000

S.O. 1024 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No.S.O.38 (E) dated the 14th January, 1997, namely: -

In the said Notification, -

(i). in the opening paragraph, the words "for a period of five years" shall be omitted.

(ii). for composition of the authority from '(1) to (6)', the following shall be substituted, namely: -

"1. Chairman, Central Ground Water Board — Chairman

2. Member (Survey, Assessment and Monitoring), Central Ground Water Board — Member

3. Member (Exploration Drilling and Materials Management), Central Ground water Board — Member

4. Member (Sustainable Management and Liasing), Central Ground Water Board — Member

5. Member (Training and Technology Transfer), Central Ground Water Board — Member

6. Joint Secretary (Administration), Ministry of Water Resources — Member
7. Joint Secretary and Financial Adviser, Ministry of Water Resources — Member
8. Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests — Member
9. Chief Engineer, Irrigation Management Organisation (Water, Planning and Projects), Central Water Commission — Member
10. Director/General Manager (Exploration), Oil and Natural Gas Corporation Ltd. — Member

The Authority may invite from time to time the following as special invitees as and when required:

1. Joint Secretary (Soil and Water Conservation), Department of Agriculture and Co-operation.
2. Joint Secretary (Water Supply), Ministry of Urban Development
3. Joint Secretary (Department of Drinking Water Supply), Ministry of Rural Development
4. Director, National Institute of Hydrology, Roorkee.
5. Director, National Geo-physical Research Institute, Hyderabad."

(iii) in para 2 for clause (iii), the following shall be substituted, namely:-

"(iii) to regulate and control, management and development of ground water in the country and to issue necessary regulatory directions for this purpose;

(iv) exercise of powers under Section 4 of the Environment (Protection) Act, 1986, for appointment of officers."

[No. L-11011/29/96-IA-III]
DR. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Footnote : The principal notification was published vide No. S.O. 38(E) dated the 14th January 1997, in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary and subsequently amended vide Notification No. S.O. 40 (E) dated the 13th January 1998 and S.O. 9 (E) dated the 5th January 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.